न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं0 : 246/2022

उनवान :

खिराज पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।

:– वादी

बनाम

1. रामपत पुत्र लाधूराम जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
2. मनफुल पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
3. सावित्री पुत्री रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
4. गौरादेवी पुत्री रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री प्रभुराम गोदारा : **वादी**

वकील श्री नवीन गोयल : **प्रतिवादीगण**

दिनांक : 26.05.2023

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा राखी के खाता सं0 91/86 के ख0सं0 26/1 की 0.506है0, ख0सं0 90/1 की 2.909है0, ख0सं0 143 की 3.8320है0, ख0सं0 217 की 2.605है0, ख0सं0 241/1 की 0.253है0 कुल 10.1050है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादी के दादा लाधूराम की हुआ करती थी जो उसकी मृत्यु के बाद कर्ता खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम दर्ज हो गई।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में खिराज पुत्र रामपत जाति जाट निवासी राखी तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम राखी सम्वत 2076–79 खाता सं0 91/86 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी ग्राम राखी सम्वत 2045 प्रदर्श 2, सादस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बोझला प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम राखी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में रामपत के दो पुत्र मनफूल व खिराजराम तथा दो पुत्रियां सावत्री व गोरां के अलावा सदस्य प्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नहीं बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा राखी के खाता सं0 91/86 के ख0सं0 26/1 की 0.506है0, ख0सं0 90/1 की 2.909है0, ख0सं0 143 की 3.8320है0, ख0सं0 217 की 2.605है0, ख0सं0 241/1 की 0.253है0 कुल 10.1050है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामपत का नाम कलमजन कर वादी खिराज व प्रतिवादी सं0 2 मनफुल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वाद भूमि रोही मौजा राखी के खाता सं0 91/86 के ख0सं0 26/1 की 0.506है0, ख0सं0 90/1 की 2.909है0, ख0सं0 143 की 3.8320है0, ख0सं0 217 की 2.605है0, ख0सं0 241/1 की 0.253है0 कुल 10.1050है0 बारानी वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 रामपत के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 रामपत का नाम कलमजन कर वादी खिराज व प्रतिवादी सं0 2 मनफुल को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं0 1, 3 व 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2023. को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.A.S.
(फास्ट ट्रैक) भादरा(हनुमानगढ़)
सहायक कलेक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner